न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
1/25	212 RTA	चांचोडा	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
सुशीला बाई	बनाम	भेरिया

वकील :–	श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल	आदेश पत्रक	वकीलः– श्री

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
03.01.2025	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 1.9349 है0 खसरा नम्बर 14 रकबा 0.1644 है0 ग्राम चांचोडा तहसील छबडा में स्थित है विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है उक्त आराजी भेरिया की स्वआर्जित नही है बल्कि भेरिया को अपने पिता से मृत्यु उपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 हिन्दू है जिनकी सम्पत्ति की विरासत के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है प्राथीगण व अप्रार्थीगण का समान हिस्सा है अप्रार्थी क्रम 1 से अप्रार्थी क्रम 2 विवादित आराजी को अन्तरिम करने एवं रजिस्टर्ड बेचान करने पर आमादा है इसलिए दावा घोषणा खातेदारी बटवारा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 भूमि का किसी प्रकार का दुरूपयोग खुर्द–बुर्द बेचान नही करे इसलिए अप्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीया अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया सुसंगत विधि का अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से यह जाहिर हे कि भूमि पैत्रक सम्पत्ति है अप्रार्थी क्रम 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतित होता है तथा दोनो पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखतें हुए कोई आवश्यक विवाद पैदा न हों गुणवगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरियें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उक्त विवादित भूमि पर आज दिनांक की रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामील के सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रक्रिया रजिस्टार डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र व रसीद भी पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से पेश किया हुआ मान कर एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करें तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक निस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई। है में परिवर्तन की दशा में संशोधन कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 22.01.2025 को पेश हों। **उपखण्ड अधिकारी** **छबड़ा (बारां)**	
22.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी गण के नोटिस बाद तामील उपस्थित। पुनः तलबाना पेश करे। पूर्व स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11-3-25 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
11.3.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक मेहता एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ जो शा० मूल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22.4.25 को पेश हो।
22.4.25	पत्रावली पेश हुई वकील आज पक्षकारान आज जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पूर्व स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.6.25 को पेश हो।
3.6.25	पत्रावली पेश हुई वकील आज पक्षकारान आज जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पूर्व के स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15.7.25 को पेश हो।
15.7.25	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 19.8.25 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)
19.8.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर वापिस करने बाबत पेश किया गया। प्रार्थीगण उपकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि प्रार्थीगण के मध्य आपसी समझाइश से राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र को वापिस कराना चाहते हैं प्रार्थीगण का हल बाद तस्दीक किया जा चुका है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील के दाखिल दफ्तर हो।